रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2541] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 5, 2019/श्रावण 14, 1941
No. 2541] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 5, 2019/ SHRAVANA 14, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2019

का.आ. 2795(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 798 (अ), तारीख 21 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 26 फरवरी, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युतर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर मंत्रालय में विचार किया गया था;

और, पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य गिरिदीह जिले के दक्षिण पूर्वी भाग में 23^{0}55' से 24^{0}20' उत्तरी अक्षांश और 86^{0}5' से 86^{0}13' पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है; जबकि तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य झारखंड राज्य में धनबाद जिले के 23^{0}50' से 23^{0}58' अक्षांश और 86^{0}6' से 86^{0}15' देशांतर के बीच स्थित है। पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य और तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य क्रमशः 49.33 वर्ग किलोमीटर और 12.82 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। संरक्षित क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 62.15 वर्ग किलोमीटर(दोनों संरक्षित क्षेत्र को मिलाकर है) मोटे तौर पर दोनो वन्यजीव अभयारण्यों का आकार अर्द्ध गोलाकार है। पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 10. 50 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 7.00 किलोमीटर है। इसी प्रकार, तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 6.25 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 3.75 किलोमीटर है। पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण पूर्व की तरफ दोनों अभयारण्यों की 3.75 किलोमीटर लम्बी साझा सीमा है और इसलिए केवल साझा पारिस्थितिकी संवेदी जोन ही व्यवहार्य है;

और, पारसनाथ और तोपचांची वन्यजीव अभयारण्यों में जैवविविधता की प्रचुरता है। दोनों अभयारण्यों में लगभग समान प्रकार की वनस्पति एवं जीवजंतु विद्यमान है। व्यापक पर्वत श्रेणी के कारण पारसनाथ अभयारण्य में तोपचांची अभयारण्य की तुलना में वनस्पति की प्रचुर विविधता विशेषकर जड़ी-बूटियां पाई जाती हैं। भारतीय वनस्पति सोसायटी के जर्नल 1955, 34 (3): 196-206, में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, लखनऊ के जे.जी. श्रीवास्तव ने 39 वृक्षों, 35 झाड़ियों, 28 लियनों और बेलदार झाड़ियों, 3 आर्किड, 4 मिस्टलेटो और 146 वार्षिकों की मौजूदगी सूचित की है। दोनों अभयारण्यों में चीतल, बनैला सूअर, तेंदुआ, लकड़बग्घा, काला भालू, बंदर, कोतरा, सियार, साही, पैंगोलिन, खरगोश, जंगली बिल्ली आदि के पर्यावास हैं;

और, तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य तेंदुए के आदर्श पर्यावास के लिए भी प्रसिद्ध हैं। हाल के वर्षों में, दुमका वन से हजारीबाग वन तक प्रवास के दौरान हाथियों के झुंड ने पारसनाथ और तोपचांची अभयारण्यों की साझा सीमा में कम-से-कम दो महीनें वास किया है। सरपेंट ईगल, कठफोड़वा, मयूर, किंगफिशर, पैराडाईस फ्लाई कैचर, मोर, कोयल, बी-ईटर, स्वीफट, लैपविंग आदि महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियां यहां प्रायः दिखाई पड़ती है। तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य राजदाहा जलाशय, जिसका नाम " तोपचांची झील" है के लिए भी प्रसिद्ध है। इस झील में विशेषतः दिसंबर एवं जनवरी के महीनों में स्थानीय एवं विदेशी प्रवासी पक्षी आते हैं;

और, इन संरक्षित क्षेत्रों में वन के विविध प्रकार जैसे कि 1200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले केंद्रीय भारतीय उप-उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन तथा कम ऊंचाई वाले उत्तरी भारतीय आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र और शुष्क प्रायद्वीप साल वन एवं उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं जो कि स्तनधारियों, पक्षियों, कीड़े-मकोड़ों, वनस्पति आदि की बड़ी संख्या के लिए उत्कृष्ट पर्यावास हैं। इस संरक्षित क्षेत्र के स्थानीय लोगों को बांस आधारित पर कुटीर उद्योग के रुप में और तीर्थ यात्रियों के रुप में पर्यटकों के आगमन से आजीविका के साधन मिलते है। पारसनाथ अभयारण्य समृद्ध वन संसाधनों और प्रसिद्ध जैन तीर्थयात्रा के आदर्श संयोजन का प्रतिनिधि है। इस अभयारण्य का एक भाग जैन धर्म का "पवित्रतम स्थल" माना जाता है। दुनिया भर से बड़ी संख्या में जैन तीर्थ यात्री यहां नियमित रुप से आते हैं। दोनों अभयारण्यों का सौंदर्यात्मक महत्व है और ये वन्यजीव अनुसंधान और शिक्षा के लिए व्यापक दायरा उपलब्ध करातें हैं और इनमें संपन्न पारिस्थितिकी-पर्यटन में मदद करने की काफी क्षमता है;

और, दोनों पारसनाथ एवं तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य सीतानाला, गंधर्वबनाला, कैरा-झरना एवं पुरीनाला जैसी प्राकृतिक, नदियों के लिए जलग्रहण क्षेत्र का कार्य करते हैं, जो कि लगभग बारहमासी हैं, जबकि जोकी नाला, गीति नाला, आनेल झरना आदि गर्मी में सूख जाती हैं। इसके अलावा, ये तोपचांची झील के जलग्रहण क्षेत्र के रुप में भी कार्य करते हैं जो कि धनबाद, झरिया एवं कटरा नगर के लिए पेयजल उपलब्ध कराकर उनकी जीवन रेखा के रुप में कार्य करती है। इस संरक्षित क्षेत्रों के वन भूजल का रिचार्ज करने में और मिट्टी के क्षरण को रोक कर नदी में गाद जमाव को रोकने में सहायक हैं;

और, पारसनाथ एवं तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य और के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाऐं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखंड राज्य में गिरिदीह और धनबाद जिला पारसनाथ एवं तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारसनाथ एवं तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन पारसनाथ एवं तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य के सीमा के चारो ओर शून्य किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 208.82 वर्ग किलोमीटर है (अभयारण्य की सामान्य सीमा के भाग के कारण पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शून्य है।)

(2) पारसनाथ एवं तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रुप में उपाबद्ध है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के पारसनाथ एवं तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध–II** के रुप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और पारसनाथ एवं तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** के सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशंकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में उपाबद्ध है।

2. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना**–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि और बागवानी;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन सहित पारिस्थितिकी पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका और शहरी विकास;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग; और

(xii) झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

IndiaCode

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैराग्राफ-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटर समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग**.– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफ़ारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत ग्रह वास सम्मिलित है; और

(v) पैराग्राफ 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों**.-आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिदांत तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन**.-(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा;

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी;

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे :-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिसोर्टों का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थिति की संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले

पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट**.- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट**.- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात**.- यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण**.- लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां**.- (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण**.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(18) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए, यदि इसे आवश्यक समझे, अन्य अतिरिक्त उपायों को विनिर्दिष्ट करेगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणिया
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने और व्यक्तिगत उपभोग के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनकों तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगा; (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित होंगी ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।

4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	नई आरा मिलों और काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
8.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
9.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे:- परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
11.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।

	दुगधशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन ।	
12.	फर्मो, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे ।
13.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे ।
15.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
16.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
17.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
19.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

IndiaCode

		अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
23.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
25.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
30.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है।
35.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	निम्नीकृत भूमि/ वन / वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्:-

क्र.सं.	**मानीटरी समिति के संघटक**	**पद**
(1)	कमिश्नर, उत्तरी छोटानागपुर डिवीजन, हजारीबाग	अध्यक्ष,पदेन;
(2)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य;

(3)	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
(4)	झारखंड के वन और पर्यावरण विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य;
(5)	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(6)	राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(7)	संबंद्ध संभागीय प्रभागीय वन अधिकारी	सदस्य;
(8)	संरक्षित क्षेत्र के प्रभागीय वन अधिकारी-प्रभारी	सदस्य सचिव।

6. निर्देश–निबंधन:- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिसिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संविक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैराग्राफ 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-V** में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/49/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढकोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

पारसनाथ एवं तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

पूर्व : टुण्डी पहर.

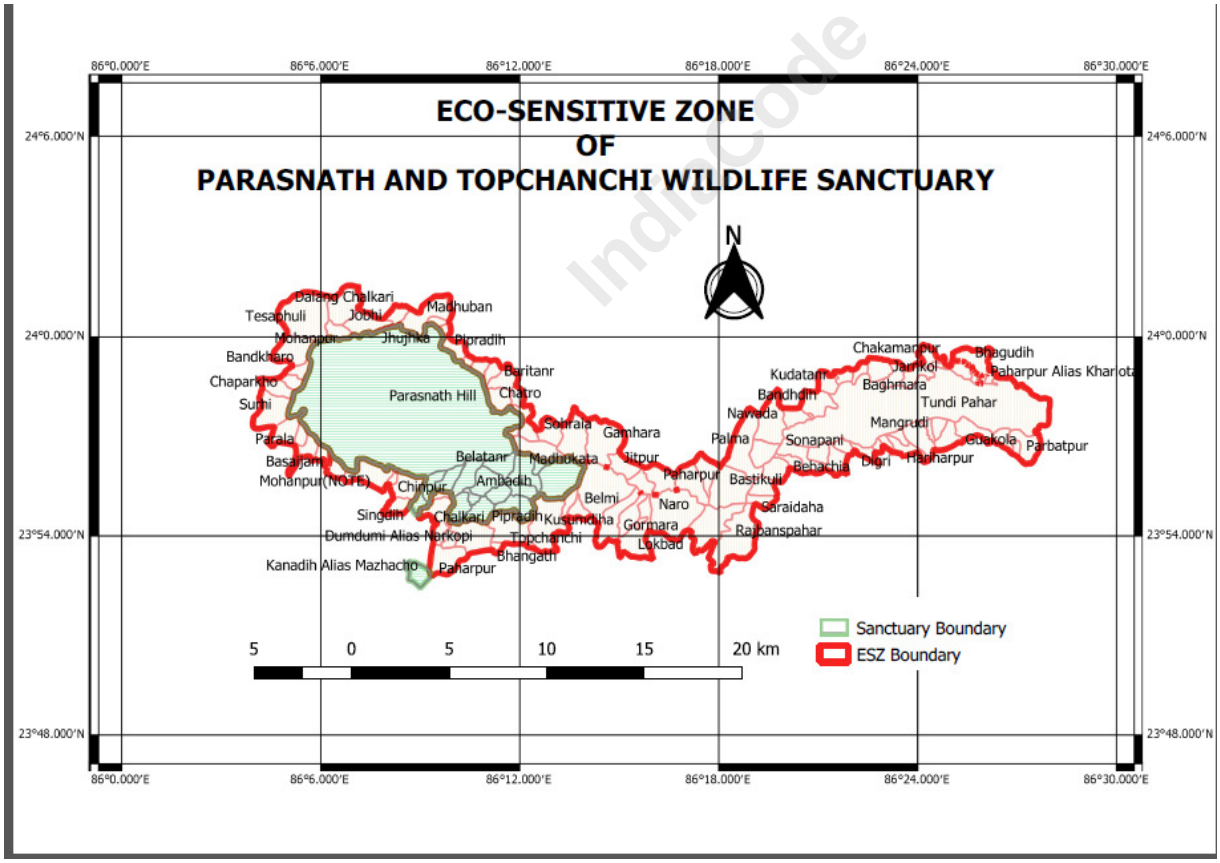
पश्चिम : सिगधिह, कल्यानपुर, करमातंर, मोहनपुर, हिथवार, बसैजैम, पौरेया, उपरनगर, सुरही, चपरखो, खुटा, खेजवाली और बड़खरो ग्राम.

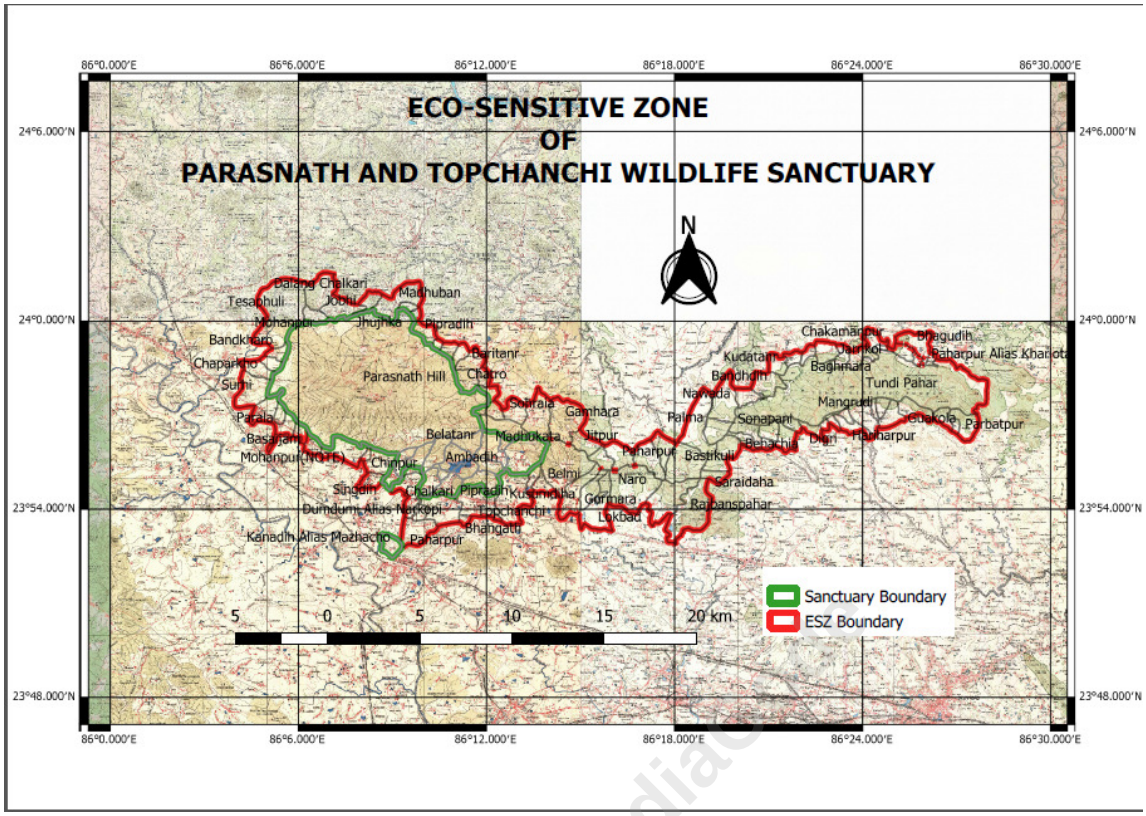
उत्तर : तेसफुली, डालंग चालकारी, जोभी, जैननगर और मधुबन ग्राम.

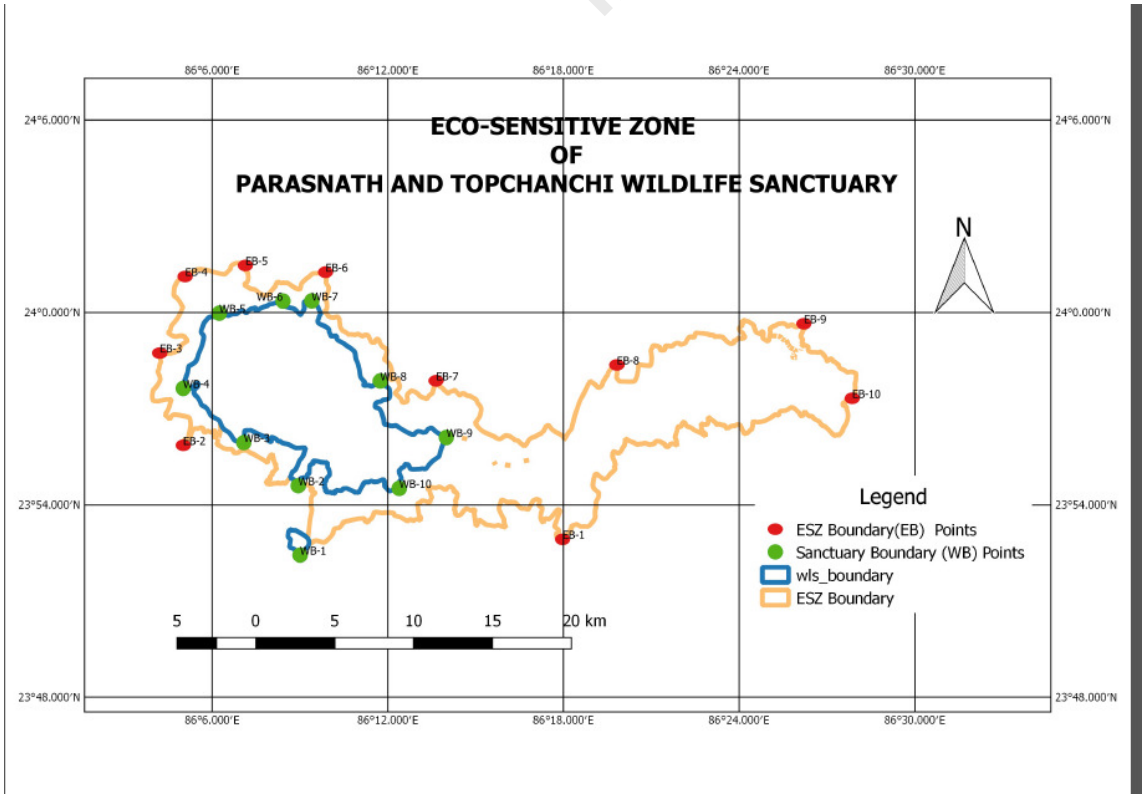
दक्षिण : चितरपुर, तोपचांडी, भांगथ, दुमदुमी उर्फ नरकोपी, पहाड़पुर और पबपुर ग्राम.

उपाबंध-II

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के साथ पारसनाथ एवं तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य, झारखंड का मानचित्र




ECO-SENSITIVE ZONE
OF
PARASNATH AND TOPCHANCHI WILDLIFE SANCTUARY
N
Sanctuary Boundary
ESZ Boundary
5 0 5 10 15 20 km
86°0.000'E
86°6.000'E
86°12.000'E
86°18.000'E
86°24.000'E
86°30.000'E
24°6.000'N
24°0.000'N
23°54.000'N
23°48.000'N


ECO-SENSITIVE ZONE
OF
PARASNATH AND TOPCHANCHI WILDLIFE SANCTUARY
N
Legend
ESZ Boundary(EB) Points
Sanctuary Boundary (WB) Points
wls_boundary
ESZ Boundary
5 0 5 10 15 20 km
86°6.000'E
86°12.000'E
86°18.000'E
86°24.000'E
86°30.000'E
24°6.000'N
24°0.000'N
23°54.000'N
23°48.000'N

उपाबंध-III

सारणी-क

पारसनाथ एवं तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य सीमा पर 10 महत्त्वपूर्ण बिंदुओं के जीपीएस निर्देशांक		
बिंदु	**अक्षांश (उ)**	**देशांतर (पू)**
डब्लू बी-1	23.87385	86.1500051
डब्लू बी-2	23.909922	86.148961
डब्लू बी-3	23.9323711	86.1179139
डब्लू बी-4	23.9605356	86.083427
डब्लू बी-5	23.9996501	86.1040048
डब्लू बी-6	24.0059353	86.1402496
डब्लू बी-7	24.0060309	86.1566321
डब्लू बी-8	23.9644326	86.1956792
डब्लू बी-9	23.9350422	86.23331
डब्लू बी-10	23.908566	86.2064508

IndiaCode

सारणी-ख

पारसनाथ एवं तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा पर 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं के जी.पी.एस निर्देशांक		
बिंदु	देशांतर	अक्षांश
ई बी-1	86.29944268	23.88211274
ई बी-2	86.08347577	23.93094879
ई बी-3	86.07011106	23.9789554
ई बी-4	86.08452556	24.01872379
ई बी-5	86.1188471	24.02449423
ई बी-6	86.16450795	24.02097058
ई बी-7	86.22741397	23.96451362
ई बी-8	86.33037355	23.97275889
ई बी-9	86.43686513	23.99418916
ई बी-10	86.46434175	23.95535568

उपाबंध-IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के पहचान करने के लिए पारसनाथ एवं तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य के संलग्न ग्रामों का विवरण

क्र.स.	ग्राम का नाम	प्रशासनिक ब्लॉक	जीपीएस निर्देशांक		भारत जनगणना 2011 के अनुसार शहर/ ग्राम का कोड
			देशांतर (उ)	अक्षांश (पू)	
1	2	3	4	5	6
1	बेलाटांड	तोपचांची	उ 23.9354	पू 86.1909	361316
2	कठुआबाद	तोपचांची	उ 23.935	पू 86.2095	361321
3	धनगड़ीया	तोपचांची	उ 23.9284	पू 86.1647	361294
4	धरमपुर	तोपचांची	उ 23.9273	पू 86.1829	361317
5	अम्बाडीह	तोपचांची	उ 23.9322	पू 86.2025	361320
6	गणेशपुर	तोपचांची	उ 23.9292	पू 86.2203	361322
7	पीपराडीह	तोपचांची	उ 23.9297	पू 86.1734	361330
8	बरतो उर्फ बरहगोरा	तोपचांची	उ 23.9258	पू 86.1558	361293
9	मंझलाडीह	तोपचांची	उ 23.923	पू 86.2016	361319
10	राजदाहा	तोपचांची	उ 23.9211	पू 86.1896	361318
11	छोटा कानाडीह	तोपचांची	उ 23.9196	पू 86.176	361314
12	सतकिरा	तोपचांची	उ 23.9164	पू 86.1494	361296
13	पीपराडीह	तोपचांची	उ 23.9145	पू 86.1988	361315
14	भवरदाहा	तोपचांची	उ 23.9125	पू 86.1803	361312
15	चलकरी	तोपचांची	उ 23.914	पू 86.1697	361313
16	कानाडीह उर्फ मरकच्चों	तोपचांची	उ 23.881	पू 86.1489	361303
17	पारसनाथ पहाड़	पीरटांड	उ 23.9662	पू 86.1399	352854

IndiaCode

पारसनाथ एवं तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन पहचान करने वालें और क्षेत्र का विवरण

क्र.स.	ग्राम का नाम	प्रशासनिक ब्लॉक	जीपीएस निर्देशांक		भारत जनगणना 2011 के अनुसार शहर/ ग्राम का कोड
			देशांतर (उ)	अक्षांश (पू)	
1	2	3	4	5	6
1	झुझका	डुमरी	86.1306695	24.0039899	352643
2	मोहनपुर	डुमरी	86.1084571	24.0027227	352645
3	बढ़खारों	डुमरी	86.0864385	23.9933682	352679
4	खेजवाली	डुमरी	86.0896441	23.9831755	352680
5	खुटा	डुमरी	86.0859028	23.9773825	352681
6	सुरही	डुमरी	86.0753051	23.9629530	352688
7	पोरैया	डुमरी	86.0866824	23.9488427	352725
8	जोभी	डुमरी	86.1223663	24.0066146	352644
9	उपरनगर	डुमरी	86.0902023	23.9506837	352724
10	दलंग चलकारी	डुमरी	86.1117650	24.0157213	352641
11	तेसफुली	डुमरी	86.0925823	24.0104679	352646
12	हिथवार	डुमरी	86.1075471	23.9339358	352744
13	बसैजम	डुमरी	86.1011674	23.9408215	352743
14	मोहनपुर	डुमरी	86.1248642	23.9310098	352750
15	चपरखो	डुमरी	86.0782263	23.9742955	352682
16	कोल्हाटांड़	पीरटांड	86.1986501	23.9698357	352877
17	बल्की पहाड़ी	पीरटांड	86.2019830	23.9621375	352876
18	सोहरैया	पीरटांड	86.2154080	23.9520106	352924
19	पीपराडीह	पीरटांड	86.1672875	23.9941043	352869
20	तेलचीपा	पीरटांड	86.1581544	24.0075656	352855
21	चटरो	पीरटांड	86.1897058	23.9686396	352874
22	बड़गांव	पीरटांड	86.2277558	23.9488499	352925
23	कोरवाटांड	पीरटांड	86.1739183	23.9874341	352870
24	गम्हरा	पीरटांड	86.2419591	23.9475831	352926
25	मरमी	पीरटांड	86.2044172	23.9521315	352922
26	पीपराडीह	पीरटांड	86.1966985	23.9521975	352945
27	पहाड़पुर	पीरटांड	86.2864285	23.9265638	352954
28	जीतपुर	पीरटांड	86.2522583	23.9351133	352927
29	बन सिमरी	पीरटांड	86.2706996	23.9285829	352953

India Code

30	मधुवन	पीरटांड	86.1533935	24.0108007	352856
31	जय नगर	पीरटांड	86.1382443	24.0108008	352853
32	बारीटांड़	पीरटांड	86.1921626	23.9785420	352873
33	मधुकटा	पीरटांड	86.2090677	23.9433240	352923
34	वीरगांव	पीरटांड	86.2938428	23.9323903	352956
35	मौजपुर	पीरटांड	86.1626389	24.0034691	352866
36	कारूजरा	पीरटांड	86.2615256	23.9266093	352928
37	बेलाटांड	पीरटांड	86.1801469	23.9849582	352871
38	बाराडीह खुर्द	पीरटांड	86.1859266	23.9823019	352872
39	दुन्दुभांगत	तोपचांची	86.1646830	23.8984496	361310
40	कमता	तोपचांची	86.2474042	23.9080934	361384
41	बेलमी	तोपचांची	86.2412842	23.9233822	361323
42	नारो	तोपचांची	86.2775247	23.9116296	361390
43	पहाड़पुर	तोपचांची	86.1629149	23.8882556	361309
44	खनवाडीह	तोपचांची	86.2248918	23.9168952	361324
45	गोरमारा	तोपचांची	86.2555961	23.9099879	361385
46	लोकबाद	तोपचांची	86.2593669	23.9004767	361387
47	कुसुमडीहा	तोपचांची	86.2297786	23.9126641	361325
48	कल्याणपुर	तोपचांची	86.1434895	23.9250080	361292
49	चितरपुर	तोपचांची	86.2136269	23.9064093	361329
50	डोमनपुर	तोपचांची	86.2967172	23.9055746	361391
51	पाबापुर	तोपचांची	86.1591562	23.9094219	361297
52	तोपचांची	तोपचांची	86.1950819	23.9034965	361402
53	चैनपुर	तोपचांची	86.1602407	23.9204119	361295
54	सिंहडीह	तोपचांची	86.1386793	23.9149784	361291
55	दुमदुमी उर्फ नरकोपी	तोपचांची	86.1763656	23.9001723	361311
56	करमाटांड	तोपचांची	86.1362885	23.9286213	361288
57	गरगरा	तोपचांची	86.2606487	23.9067856	361386
58	भांगत	तोपचांची	86.1884213	23.8944278	361310
59	देवपहाड़	टुण्ड़ी	86.4153248	23.9494601	361127
60	परबतपुर	टुण्ड़ी	86.4546382	23.9453302	361156
61	सालपहाड़	टुण्ड़ी	86.4430794	23.9487191	361154
62	चकमनपुर	टुण्ड़ी	86.4059048	23.9901845	361044
63	पबरा	टुण्ड़ी	86.4496011	23.9441949	361155
64	भगुदी	टुण्ड़ी	86.4288838	23.9879469	361080
65	नारों	टुण्ड़ी	86.3804536	23.9836998	361072

66	बड़ा नागपुर	टुण्ड़ी	86.4215273	23.9837204	361077
67	बघमारा	टुण्ड़ी	86.3884789	23.9805121	361073
68	छोटा नागपुर	टुण्ड़ी	86.4290364	23.9795264	361078
69	कुदाटांड	टुण्ड़ी	86.3547079	23.9768113	361066
70	पारसबनी	टुण्ड़ी	86.3380892	23.9597609	361061
71	बस्तीकुली	टुण्ड़ी	86.3053538	23.9241822	361058
72	पलमा	टुण्ड़ी	86.3130816	23.9446136	361057
73	पहाडपुर उर्फ खरियाटांड	टुण्ड़ी	86.4366856	23.9794279	361081
74	जमकोल	टुण्ड़ी	86.3988863	23.9808334	361074
75	चुनुकडीहा	टुण्ड़ी	86.4103743	23.9547758	361126
76	नवादा	टुण्ड़ी	86.3265395	23.9572113	361060
77	बांधडीह	टुण्ड़ी	86.3492991	23.9666747	361063
78	गुआकोला	टुण्ड़ी	86.4272871	23.9529569	361128
79	टुण्डी पहाड़	टुण्ड़ी	86.4016354	23.9639090	361123
80	सिलगडी	टुण्ड़ी	86.3632133	23.9803041	361069
81	करकोन्ध	टुण्ड़ी	86.4101651	23.9858572	361075
82	पोखरिया	टुण्ड़ी	86.3710229	23.9825867	361071
83	परसा	टुण्ड़ी	86.3221070	23.9418667	361059
84	मंगरोडीह	टुण्ड़ी	86.4057292	23.9537860	361125
85	बेगनरिया	टुण्ड़ी	86.4009657	23.9492309	361124
86	पीपराढ़ाब	टुण्ड़ी	86.3464255	23.9602552	361062
87	बनतोर	गोविन्दपुर	86.3591523	23.9375878	361627
88	हरिहरपुर	गोविन्दपुर	86.3944179	23.9437693	361635
89	घोराबांध	गोविन्दपुर	86.3224120	23.9243358	361619
90	झिलुआ	गोविन्दपुर	86.3289053	23.9332435	361618
91	मधुपर	गोविन्दपुर	86.3844814	23.9466010	361633
92	पारगो	गोविन्दपुर	86.3506239	23.9414745	361626
93	सोनापानी	गोविन्दपुर	86.3629268	23.9449463	361628
94	बेहेचिया	गोविन्दपुर	86.3409752	23.9393552	361615
95	दिगरी	गोविन्दपुर	86.3735645	23.9421113	361631
96	सरायदाहा	गोविन्दपुर	86.3214605	23.9178108	361620
97	चिकिनीया	गोविन्दपुर	86.3360089	23.9381484	361616
98	रघुवाडी	गोविन्दपुर	86.3911508	23.9498047	361634
99	राजवंश पहाड़	बघमारा	86.3085250	23.8984655	361467

Web Copy

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2019

S.O.2795(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 798(E), dated the 21st February, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 26th February, 2018;

AND WHEREAS, objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were duly considered in the Ministry;

AND WHEREAS, Parasnath Wildlife Sanctuary lies between $23^0$55' to $24^0$20' North latitudes and $86^0$5' to $86^0$13' East longitudes in the south-east part of Giridih District; while Topchanchi Wildlife Sanctuary lies between $23^0$50' to $23^0$58' latitudes and $86^0$6' to $86^0$15' longitudes in Dhanbad district in the State Jharkhand. Parasnath Wildlife Sanctuary and Topchanchi Wildlife Sanctuary occupies 49.33 square kilometers and 12.82 square kilometers, respectively. The total area of the protected area is 62.15 square kilometers (combining two protected areas). Both Wildlife Sanctuaries are roughly semi - spherical in shape. The extent of Parasnath Wildlife Sanctuary from East to West is 10.50 kilometers and from North to South is 7.00 kilometers. Similarly the extent of Topchanchi Wildlife Sanctuary from East to West in 6.25 kilometers and from North to South is 3.75 kilometers. Both the Sanctuary shared common boundary of 3.75 kilometers length towards southeastern side of Parasnath Wildlife Sanctuary and so only common Eco-sensitive zone is feasible;

AND WHEREAS, Parasnath and Topchanchi Wildlife Sanctuaries have a wide range of biodiversity. In both the Sanctuaries almost same varieties of flora and fauna exists. Due to extensive mountain range Parasnath Sanctuary is rich in floral varieties, especially herbs in comparison to Topchanchi Sanctuary. J.G. Srivastava of National Botanic Garden, Lucknow has reported, in the Journal of the Indian Botanical Society. 1955, 34 (3): 196-

206, the presence of 39 trees, 35 shrubs, 28 lianas and climbing shrubs, 3 orchid, 4 mistletoes and 146 annuals. In both the Sanctuaries the habitats are shared by cheetal, wild boar, leopards, hyenas, black bear, monkey, kotra, jackal, porcupine, pangolins, hares, wild cat etc;

AND WHEREAS, Topchanchi Wildlife Sanctuary has been also famous for ideal habitat of leopards. In recent years, the herd of elephants during migration from Dumka forest to Hazaribag forest, stay on the common boundary of Parasnath and Topchanchi Sanctuaries. The important birds species, spotted frequently are serpant eagle, wood -pecker, pea-fowl, king fisher, paradise fly-catcher, peacock, koel, bee- eater, swift, lapwing etc. Topchanchi Wildlife Sanctuary is also famous for Rajdaha reservoir, called " Topchanchi Jheel (lake)". The local and foreign migratory birds visit this lake especially during the month of December and January;

AND WHEREAS, the protected areas has diverse type of forest like, central Indian sub-tropical hill forest beyond 1200 meters altitude, northern Indian moist Deciduous forest moist and Dry peninsular Sal forest and northern Dry mixed deciduous forest at lower height and are an excellent habitat for significant population of mammals, birds, insects, flora etc. The Protected Areas supports the local population by providing them with means of livelihood in the form of cottage industry based on bamboo and influx of tourist as pilgrimage. Parasnath Sanctuary represents an ideal combination of rich forest resources and a famous Jain Pilgrimage. A part of this Sanctuary is considered as the "Sanctum Sanctorum" of the Jain faith. A large numbers of Jain Pilgrims from across the globe regularly visit the place. Both the Sanctuary has great aesthetic value and scope for wildlife research and education and has tremendous potential to support thriving eco-tourism;

AND WHEREAS, Both Parasnath and Topchanchi Wildlife Sanctuaries serves as catchments for natural stream like Sitanala, Gandharbnala, Kaira-jharna and Purinala which are almost perennial while Joki nala, Giti nala Anil jharna etc. dries in summer. Besides it is also serves as catchment for Topchanchi Jheel which serves as lifeline for Dhanband, Jharia and Katras Township by providing drinking water. The forests of both the protected areas intercept rainfall to help recharge ground water aquifer and protect the river streams against silting by checking soil erosion;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Parasnath and Topchanchi Wildlife Sanctuaries which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from zero kilometres to 25 kilometres around the boundary of Parasnath and Topchanchi Wildlife Sanctuaries, in Giridih and Dhanbad districts in the State of Jharkhand as the Parasnath and Topchanchi Wildlife Sanctuaries Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of zero kilometres to 25 kilometres around the boundary of Parasnath and Topchanchi Wildlife Sanctuaries and the area of the Eco-sensitive Zone is 208.82 square kilometres *(Zero extent of Eco-sensitive Zone is due to share of common boundary of the Sanctuary).*

 (2) The boundary description of Parasnath and Topchanchi Wildlife Sanctuaries and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

 (3) The maps of the Parasnath and Topchanchi Wildlife Sanctuaries demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-II.**

 (4) List of geo-coordinates of the boundary of Parasnath and Topchanchi Wildlife Sanctuaries and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

 (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

 (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

IndiaCode

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture and Horticulture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism including eco-tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Public Works Department; and
(xii) Jharkhand State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) New construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio Medical Waste Management shall be as under:-

(a) The Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills and wood based industries.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
	B. Regulated Activities	
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the

Sl. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
		protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
12.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
13.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
15.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
17.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
19.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.

Sl. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	Commissioner, North Chhotanagpur Division, Hazaribagh	Chairman, ex officio
2.	Representative of State Pollution Control Board	Member;
3.	A representative of non-governmental organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
4.	A representative nominated by the Forest and Environment Department of Jharkhand	Member;

5.	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
6.	One expert in Ecology from reputed institution or University of the State	Member;
7.	Concerned territorial Divisional Forest Officer	Member;
8.	Divisional Forest Officer-In Charge of Protected Area	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended in **Annexure V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/49/2015-ESZ-RE]

Dr SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

Annexure-I

Boundaries of the Eco-sensitive Zone around Parasnath and Topchanchi Wildlife Sanctuary

East:- Tundi Pahar**.**

West:- Sigdih, Kalyanpur, Karmatanr, Mohanpur, Hithwar, Basaijam, Poraia, Uparnagar, Surhi, Chaparkho, Khuta, Khejwali and Badkharo Villages.

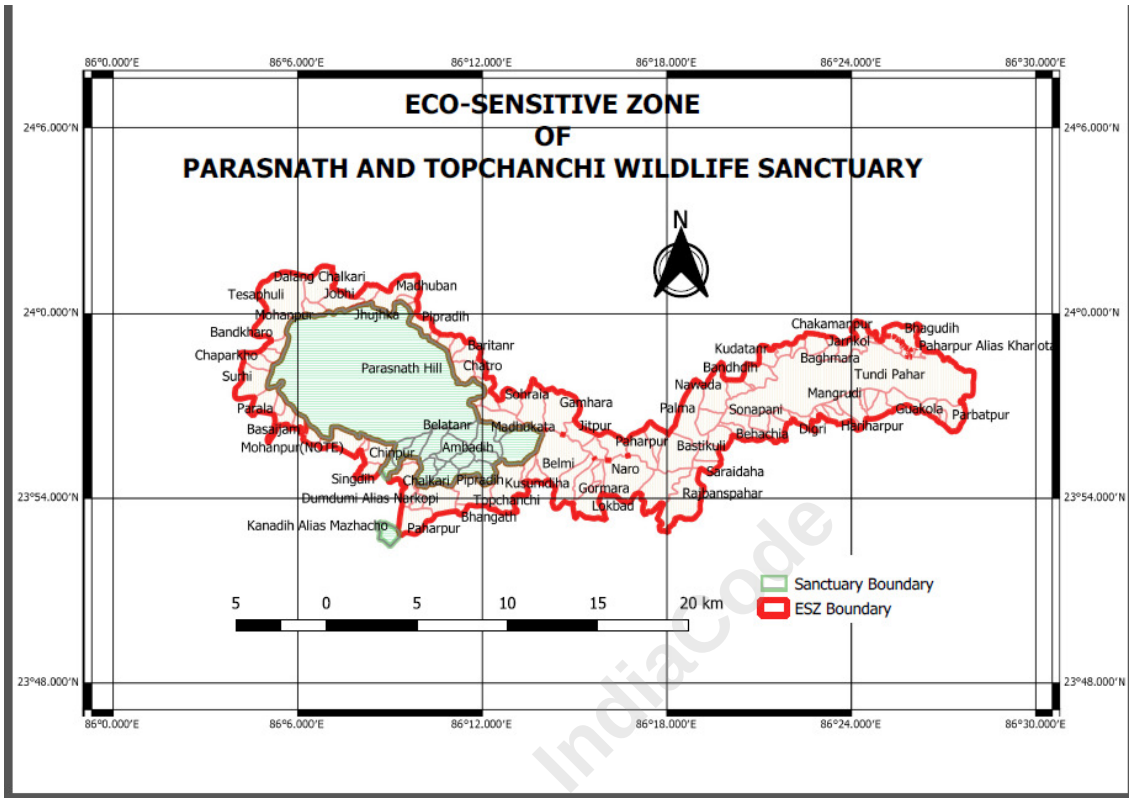
North:- Tesaphuli, Dalang Chalkari, Jobhi, Jainagar and Madhuban Villages.

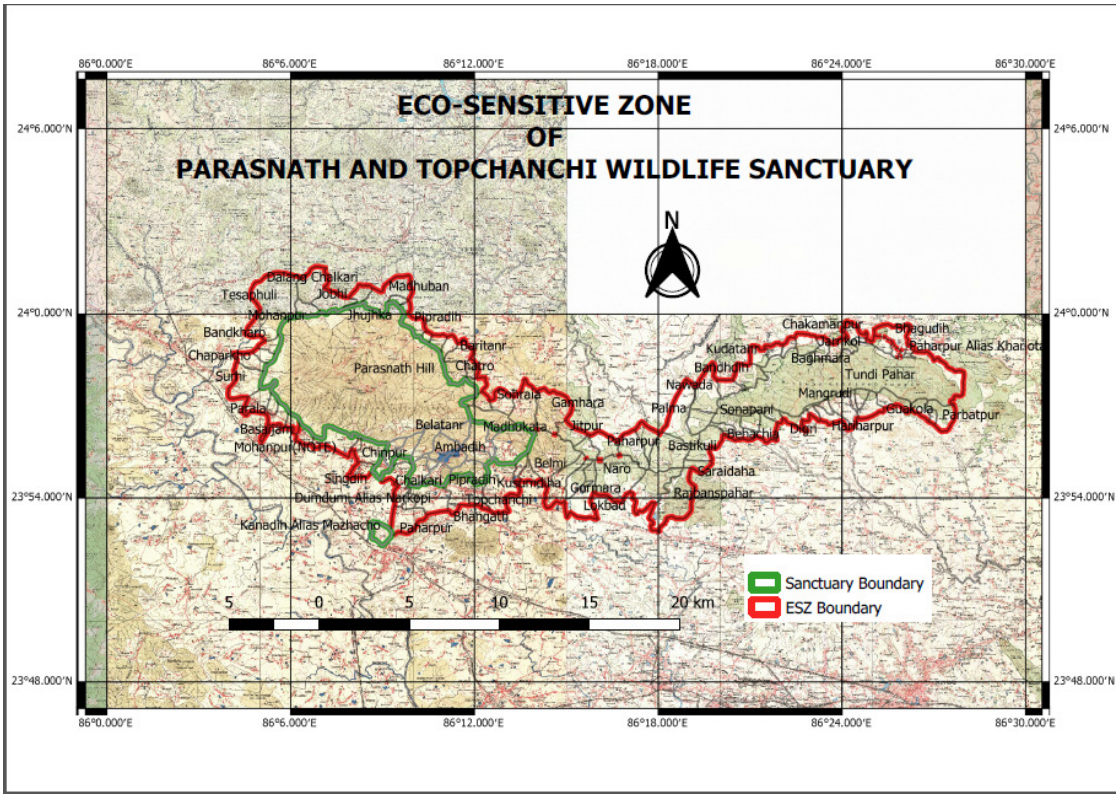
South:- Chitarpur, Topchanchi, Bhangath, Dumdumi alias Narkopi, Paharpur and Pabapur Villages.

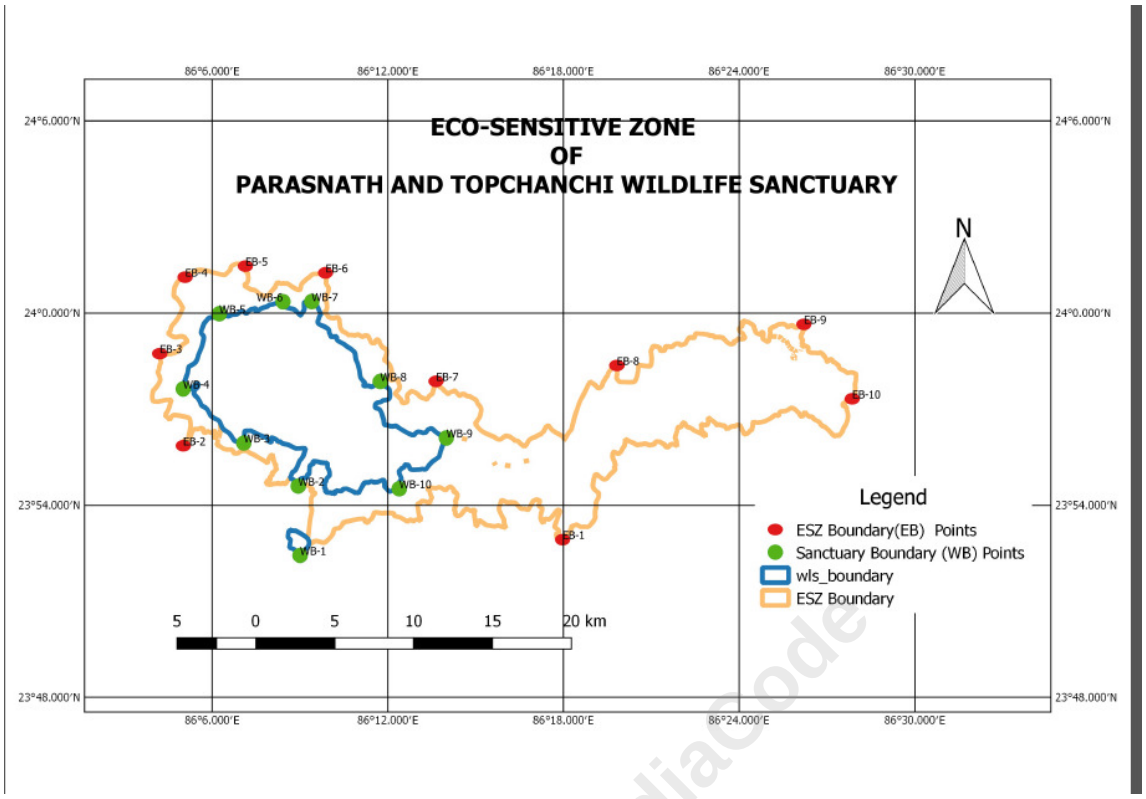
IndiaCode

Annexure-II

Map of Parasnath and Topchanchi Wildlife Sanctuary, Jharkhand along with Eco-Sensitive Zone







IndiaCode

Annexure-III

TABLE-A

GPS Co-ordinates of 10 Important Points on Parasnath Topchanchi Wildlife Sanctuary Boundary		
Point	**Latitude (N)**	**Longitude (E)**
WB-1	23.87385	86.1500051
WB-2	23.909922	86.148961
WB-3	23.9323711	86.1179139
WB-4	23.9605356	86.083427
WB-5	23.9996501	86.1040048
WB-6	24.0059353	86.1402496
WB-7	24.0060309	86.1566321
WB-8	23.9644326	86.1956792
WB-9	23.9350422	86.23331
WB-10	23.908566	86.2064508

Table-B

GPS Co-ordinates of 10 Important Points on Parasnath Topchanchi Wildlife Sanctuary's Eco-sensitive Zone Boundary		
Point	Longitude	Latitude
EB-1	86.29944268	23.88211274
EB-2	86.08347577	23.93094879
EB-3	86.07011106	23.9789554
EB-4	86.08452556	24.01872379
EB-5	86.1188471	24.02449423
EB-6	86.16450795	24.02097058
EB-7	86.22741397	23.96451362
EB-8	86.33037355	23.97275889
EB-9	86.43686513	23.99418916
EB-10	86.46434175	23.95535568

IndiaCode

Annexure-IV

DETAILS OF ENCLAVED VILLAGES OF PARASNATH AND TOPCHANCHI WILDLIFE SANCTUARY FOR IDENTIFICATION OF ECO SENSITIVE ZONE					
Sl. No	Name of Village	Admm Block	GPS Co- Ordinates		Viilage Code as per Census of India, 2011
			Longitude (N)	Latitude (E)	
1	2	3	4	5	6
1	Belatanr	Topchanchi	N 23.9354	E 86.1909	361316
2	Kathuabad	Topchanchi	N 23.935	E 86.2095	361321
3	Dhangaria	Topchanchi	N 23.9284	E 86.1647	361294
4	Dharampur	Topchanchi	N 23.9273	E 86.1829	361317
5	Ambadih	Topchanchi	N 23.9322	E 86.2025	361320
6	Ganeshpur	Topchanchi	N 23.9292	E 86.2203	361322
7	Pipradih	Topchanchi	N 23.9297	E 86.1734	361330
8	Barto alias barahgora	Topchanchi	N 23.9258	E 86.1558	361293
9	Majhiladih	Topchanchi	N 23.923	E 86.2016	361319
10	Rajdaha	Topchanchi	N 23.9211	E 86.1896	361318
11	Chhota Kanadih	Topchanchi	N 23.9196	E 86.176	361314
12	Satkira	Topchanchi	N 23.9164	E 86.1494	361296
13	Pipradih	Topchanchi	N 23.9145	E 86.1988	361315
14	Bhawardaha	Topchanchi	N 23.9125	E 86.1803	361312
15	Chalkari	Topchanchi	N 23.914	E 86.1697	361313
16	Kanadih alias Markacho	Topchanchi	N 23.881	E 86.1489	361303
17	Parasnath hill	Pirtanr	N 23.9662	E 86.1399	352854

ECO SENSITIVE ZONE IDENTIFICATION AND DETAILS OF AREA AROUND PARASNATH AND TOPCHANCHI WILDLIFE SANCTUARY					
Sl. No	Name of Village	Admm Block	GPS Co- Ordinates		Village Code as per Census of India, 2011
			Longitude (N)	Latitude (E)	
1	2	3	4	5	6
1	Jhujhka	Dumri	86.1306695	24.0039899	352643
2	Mohanpur	Dumri	86.1084571	24.0027227	352645
3	Badkharo	Dumri	86.0864385	23.9933682	352679
4	Khejwali	Dumri	86.0896441	23.9831755	352680
5	Khuta	Dumri	86.0859028	23.9773825	352681
6	Surhi	Dumri	86.0753051	23.9629530	352688
7	Poraia	Dumri	86.0866824	23.9488427	352725
8	Jobhi	Dumri	86.1223663	24.0066146	352644
9	Uparnagar	Dumri	86.0902023	23.9506837	352724
10	Dalang Chalkari	Dumri	86.1117650	24.0157213	352641
11	Tesaphuli	Dumri	86.0925823	24.0104679	352646
12	Hithwar	Dumri	86.1075471	23.9339358	352744
13	Basaijam	Dumri	86.1011674	23.9408215	352743
14	Mohanpur	Dumri	86.1248642	23.9310098	352750
15	Chaparkho	Dumri	86.0782263	23.9742955	352682
16	Kolhatanr	Pirtanr	86.1986501	23.9698357	352877
17	Balki Pahari	Pirtanr	86.2019830	23.9621375	352876
18	Sohraia	Pirtanr	86.2154080	23.9520106	352924
19	Pipradih	Pirtanr	86.1672875	23.9941043	352869
20	Telanchipa	Pirtanr	86.1581544	24.0075656	352855
21	Chatro	Pirtanr	86.1897058	23.9686396	352874
22	Badgaon	Pirtanr	86.2277558	23.9488499	352925
23	Korwatanr	Pirtanr	86.1739183	23.9874341	352870
24	Gamhara	Pirtanr	86.2419591	23.9475831	352926
25	Marmi	Pirtanr	86.2044172	23.9521315	352922
26	Pipradih	Pirtanr	86.1966985	23.9521975	352945
27	Paharpur	Pirtanr	86.2864285	23.9265638	352954
28	Jitpur	Pirtanr	86.2522583	23.9351133	352927
29	Bansimri	Pirtanr	86.2706996	23.9285829	352953
30	Madhuban	Pirtanr	86.1533935	24.0108007	352856
31	Jainagar	Pirtanr	86.1382443	24.0108008	352853
32	Baritanr	Pirtanr	86.1921626	23.9785420	352873
33	Madhukata	Pirtanr	86.2090677	23.9433240	352923
34	Birgaon	Pirtanr	86.2938428	23.9323903	352956
35	Moujpur	Pirtanr	86.1626389	24.0034691	352866
36	Karujara	Pirtanr	86.2615256	23.9266093	352928
37	Belatanr	Pirtanr	86.1801469	23.9849582	352871
38	Baradihkhurd	Pirtanr	86.1859266	23.9823019	352872
39	Dandubhangath	Topchanchi	86.1646830	23.8984496	361310
40	Kamta	Topchanchi	86.2474042	23.9080934	361384
41	Belmi	Topchanchi	86.2412842	23.9233822	361323
42	Naro	Topchanchi	86.2775247	23.9116296	361390

Image Code

43	Paharpur	Topchanchi	86.1629149	23.8882556	361309
44	Khanwadih	Topchanchi	86.2248918	23.9168952	361324
45	Gormara	Topchanchi	86.2555961	23.9099879	361385
46	Lokbad	Topchanchi	86.2593669	23.9004767	361387
47	Kusumdiha	Topchanchi	86.2297786	23.9126641	361325
48	Kalyanpur	Topchanchi	86.1434895	23.9250080	361292
49	Chitarpur	Topchanchi	86.2136269	23.9064093	361329
50	Domanpur	Topchanchi	86.2967172	23.9055746	361391
51	Pabapur	Topchanchi	86.1591562	23.9094219	361297
52	Topchanchi	Topchanchi	86.1950819	23.9034965	361402
53	Chinpur	Topchanchi	86.1602407	23.9204119	361295
54	Singdih	Topchanchi	86.1386793	23.9149784	361291
55	Dumdumi Alias Narkopi	Topchanchi	86.1763656	23.9001723	361311
56	Karmatanr	Topchanchi	86.1362885	23.9286213	361288
57	Gargara	Topchanchi	86.2606487	23.9067856	361386
58	Bhangath	Topchanchi	86.1884213	23.8944278	361310
59	Deopahar	Tundi	86.4153248	23.9494601	361127
60	Parbatpur	Tundi	86.4546382	23.9453302	361156
61	Salpahar	Tundi	86.4430794	23.9487191	361154
62	Chakamanpur	Tundi	86.4059048	23.9901845	361044
63	Pabra	Tundi	86.4496011	23.9441949	361155
64	Bhagudi	Tundi	86.4288838	23.9879469	361080
65	Naro	Tundi	86.3804536	23.9836998	361072
66	Bara Nagpur	Tundi	86.4215273	23.9837204	361077
67	Baghmara	Tundi	86.3884789	23.9805121	361073
68	Chhota Nagpur	Tundi	86.4290364	23.9795264	361078
69	Kudatanr	Tundi	86.3547079	23.9768113	361066
70	Parasbani	Tundi	86.3380892	23.9597609	361061
71	Bastikuli	Tundi	86.3053538	23.9241822	361058
72	Palma	Tundi	86.3130816	23.9446136	361057
73	Paharpur Alias Khariotanr	Tundi	86.4366856	23.9794279	361081
74	Jamkol	Tundi	86.3988863	23.9808334	361074
75	Chunukdiha	Tundi	86.4103743	23.9547758	361126
76	Nawada	Tundi	86.3265395	23.9572113	361060
77	Bandhdih	Tundi	86.3492991	23.9666747	361063
78	Guakola	Tundi	86.4272871	23.9529569	361128
79	Tundi Pahar	Tundi	86.4016354	23.9639090	361123
80	Shilgari	Tundi	86.3632133	23.9803041	361069
81	Karkund	Tundi	86.4101651	23.9858572	361075
82	Pokharia	Tundi	86.3710229	23.9825867	361071
83	Parsa	Tundi	86.3221070	23.9418667	361059
84	Mangrudi	Tundi	86.4057292	23.9537860	361125
85	Bengnaria	Tundi	86.4009657	23.9492309	361124
86	Pipradhab	Tundi	86.3464255	23.9602552	361062
87	Bantour	Gobindpur	86.3591523	23.9375878	361627
88	Hariharpur	Gobindpur	86.3944179	23.9437693	361635
89	Ghorabandh	Gobindpur	86.3224120	23.9243358	361619
90	Jhilua	Gobindpur	86.3289053	23.9332435	361618

Indiacode

91	Madhupur	Gobindpur	86.3844814	23.9466010	361633
92	Pargho	Gobindpur	86.3506239	23.9414745	361626
93	Sonapani	Gobindpur	86.3629268	23.9449463	361628
94	Behachia	Gobindpur	86.3409752	23.9393552	361615
95	Digri	Gobindpur	86.3735645	23.9421113	361631
96	Saraidaha	Gobindpur	86.3214605	23.9178108	361620
97	Chikania	Gobindpur	86.3360089	23.9381484	361616
98	Raghuadi	Gobindpur	86.3911508	23.9498047	361634
99	Rajbanspahar	Baghmara	86.3085250	23.8984655	361467

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.08.09 10:51:36 +05'30'